

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम- नसीराबाद

रतन सिंह बनाम जैल

किस्म मुकदमा :- 83,88,138

राजो काश्त अधि 1955

प्रकरण संख्या 205 सन -2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.23	<p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 18.1.24 को पेश हो।</p> <p>3</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</p>	<p>1028 L-8 C 26/12/23</p>
4/1/24	<p>18/1/24</p> <p>पोस्टमैन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर बंद/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश को पालना में दिनांक 19/3/24 का पत्र है।</p> <p>आदेशानुसार र रिज</p> <p>अधिवक्ता वकील व वकील रतन सिंह उपस्थित है नए अपील के आदि विवेक अपील के पत्रावली के लोके अपील की पत्रावली के राजीनामा है। अपील रतन सिंह वकील वकील को रिटों का तलब नहीं है। वकील वकील के विवेक के पत्रावली तलब की जाती वाद रिटों को नए अपील रतन सिंह अपील के पत्रावली के तलब अपील के नसीराबाद को है व वकील रतन सिंह</p>	<p>रतन सिंह Ish...</p>

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद